

५०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक १७ नवम्बर, 2008

संख्या— ३प्रा०—वि—१०१/२००४ ५५६३ / न०वि०एवं०आ०वि० बिहार नगरपालिका
अधिनियम, २००७ (बिहार अधिनियम, ११, २००७) की धारा २९१ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः—

बिहार महानगर योजना समिति नियमावली, २००८

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (१) यह नियमावली बिहार महानगर योजना समिति नियमावली, २००८ कही जा सकेगी।
(२) यह नियमावली बिहार सरकार की अधिसूचना द्वारा यथा घोषित संपूर्ण महानगर क्षेत्र एवं प्रदेश पर लागू होगी।
(३) यह नियमावली उस तारीख से प्रवृत्त होगी, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
२. परिभाषाएँ।—
 - i. “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, २००७।
 - ii. “समिति” से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित महानगर योजना समिति।
 - iii. “महानगर क्षेत्र से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित महानगर क्षेत्र / प्रक्षेत्र।
 - iv. “बोर्ड” से अभिप्रेत है बिहार राज्य योजना बोर्ड।

महानगर योजना समिति का गठन

३. महानगर योजना समिति निम्नलिखित सदस्य से मिल कर बनेगी—
 - (क) अध्यक्ष, जो नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री होगे;
 - (ख) उपाध्यक्ष, जो यथा नीचे खंड (ग) में उल्लिखित निर्वाचित सदस्यों के बीच से निर्वाचित होगा।
 - (ग) महानगर क्षेत्र के नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के मुखियों के बीच से उस क्षेत्र के नगरपालिकाओं एवं पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में, गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित तीस सदस्य;
 - (घ) सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग अथवा उप सचिव से अन्यून कोटि का उसका नाम निर्देशिती—पदेन;
 - (ङ) सचिव, योजना एवं विकास विभाग अथवा उप सचिव से अन्यून कोटि का उसका नाम निर्देशिती—पदेन;
 - (च) वित्त आयुक्त अथवा उप सचिव से अन्यून कोटि का उसका नाम निर्देशिती—पदेन;
 - (छ) सचिव, उद्योग / वाणिज्य विभाग अथवा उप सचिव से अन्यून कोटि का उसका नाम निर्देशिती—पदेन;
 - (ज) सचिव, पंचायती राज विभाग अथवा उप सचिव से अन्यून कोटि का उसका नाम निर्देशिती—पदेन;
 - (झ) सचिव, पथ निर्माण विभाग अथवा उप सचिव से अन्यून कोटि का उसका नाम निर्देशिती—पदेन;
 - (ञ) सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अथवा उप सचिव से अन्यून कोटि का उसका नाम निर्देशिती—पदेन;

